

राजस्थान सरकार
प्रारंभिक शिक्षा विभाग

क्रमांक : प. 2(5)/शि-1/प्राशि/2003/पार्ट-1

जयपुर दिनांक 29 SEP 2017

1. आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
2. आयुक्त, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राज0 बीकानेर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त।

विषय : राजस्थान तृतीय श्रेणी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2016 के माध्यम से लेवल -। (NON TSP/TSP AREA) के आरक्षित/प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति/पदस्थापन हेतु काउंसलिंग कैंप (परामर्श शिविर) का कलेंडर जारी किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा दिनांक 24.09.2017 को राजस्थान तृतीय श्रेणी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2016 के माध्यम से लेवल-। गैर अनुसूचित क्षेत्र/अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP/TSP AREA) के आरक्षित/प्रतीक्षा सूची में नव चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति/पदस्थापन हेतु जिले आवंटित किये गये हैं।

अतः इस विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 31.01.2017 (प्रति संलग्न) के अनुसार उक्त चयनित तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल-। (NON TSP/TSP AREA) के नियुक्ति/पदस्थापन की कार्यवाही जिला स्तर पर काउंसलिंग के माध्यम से किये जाने हेतु निम्नांकित कलेंडर जारी किया जाता है।

क्र.सं.	विवरण	दिनांक
1	संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् द्वारा आरक्षित मेरिट लिस्ट से प्राप्त नवचयनित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन कर पदस्थापन हेतु उपलब्ध अभ्यर्थियों की अंतिम सूची तैयार करना।	09.10.2017 तक
2	संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् द्वारा नवचयनित पदस्थापन हेतु उपलब्ध अभ्यर्थियों की अंतिम सूची (Final list) संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा को उपलब्ध कराना।	10.10.2017 तक
3	31.1.2017 को जारी विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार शाला दर्शन पोर्टल पर जिले की लॉगइन पर उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार काउंसलिंग हेतु रिक्त पदों को अपलोड करना।	11.10.2017 तक
4	31.1.2017 को जारी विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार काउंसलिंग के लिए रिक्त पदों एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूची का प्रकाशन किया जाना।	12.10.2017 तक
5	31.1.2017 को जारी विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार काउंसलिंग कैंपों (परामर्श शिविर) का आयोजन।	13.10.2017 को
6	31.1.2017 को जारी विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी करना	18.10.2017 तक


उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय,
29/9/17
(घनश्याम लाल शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
5. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
7. जिला कलेक्टर।
8. उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा,
9. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा,
10. सम्बन्धित विकास अधिकारी जिला
11. रक्षित पत्रावली।



शासन उप सचिव

www.rajteachers.com